Advertisers Welfare Association

Reg.no.2076 year 2009-10 (Area of Operation Bihar)

Chief Patrons:

Hon'ble Mr. B.K. Luthra | Hon'ble Mr. Parimal Sahay | Hon'ble Mr. Mustaq Ahmad

AMC(Rev)

President:-
Sona Singh

Vice President:-
1. Anant Prakash
2. Shivendu Verma
3. Bhushan Prasad

General Secretary:-
Manish Kumar

Treasurer:-
Shailendra Kumar

Joint Treasurer:-
Raju Kumar Singh

Advisory Committee:-
1. Anant Prakash
2. O.P. Tiwari
3. Sanjeev Kumar

Spokes Person:-
Rakesh Ranjan

Co-ordinator:-
Nirmal Kumar

Executive Body:-
1. S.K. Choudhary
2. O.P. Tiwari
3. Binod Kumar
4. Suraj Sinha
5. Balmiki Jha/Micky Jha
6. Raju Kumar Singh

Co-ordination Committee:-
1. Nirmal Kumar
2. Binod Kumar
3. Asthana
4. Rakesh Kumar
5. Rajesh Kumar
6. Vivek Kumar
7. Shivam Pandey

11850 12/9/17

Ref. No. 002/2017-18 दिनांक : 11.09.2017

सेवा में,
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

विषय : पटना नगर निगम क्षेत्र बिना अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित करने के विरूद्ध नोटिस के संबंध में

महाशय

उपरोक्त विषय में कहना है कि हमारे सदस्यों को आपके द्वारा लिखित नोटिस पटना नगर निगम के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। इसके संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

1. पटना नगर निगम (विज्ञापन एवं सदृश्य अन्य युक्तियों के प्रदर्शन एवं प्रयोग सबंधी अनुज्ञा) विनियम, 2012, त्रुटिपूर्ण होने के कारण अभी तक लागू नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में बिहार सरकार एवं माननीय पटना उच्च न्यायलय ने भी नये सिरे से विनियम बनाने को आदेश दिया था। अत: बिना विनियम बनाये हुये इस तरह की कार्यवाही उचित प्रतित नहीं होती है।
2. काफी वर्षो से पटना नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन वोर्ड के प्रदर्शन का कार्य हमारे सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। पटना नगर निगम में परिपार्टी चली आ रही है कि प्रत्येक वर्ष आपके मांगने पर स्वघोषित सूची हमारे सदस्यों द्वारा निगम को उपलब्ध करायी गई है। उसी सूची के आधार पर पहले कर की गणना कर कर मांग–पत्र हमारे सदस्यों को भेजी जाती थी उसके अनुसार हमारे सदस्य लोग समय–समय पर उचित कर का जमा किया जाता रहा है।
3. बिना किसी उचित जांच या पूछताछ के बिना आधार के सार्वजनिक रूप से हमारे सदस्यों के वैध विज्ञापन बोर्ड को अवैध घोषित करना उचित प्रतित नहीं होता है।
4. हमारे द्वारा बहुत बार आग्रह करने के बाद भी आज तक पटना नगर निगम क्षेत्र के अर्न्तगत विज्ञापन बोर्ड कैसे लगाया जायेगा और उसकी प्रक्रिया क्या होगी ? हमारे सदस्य अभी तक अवगत नहीं है।
5. हमारे द्वारा आपको आग्रह पूर्वक कहना है कि सर्वप्रथम सरकारी/ नगर निगम के जमीन पर लगे हुए अवैध विज्ञापन बोर्ड को हटाने की कार्यवाही की जाय।
6. तत्पश्चात बिना पंजीकृत विज्ञापन एजेसियों के द्वारा जो होर्डिग प्राइवेट छत पर लगाया गया है उस पर कानूनन कार्यवाही की जाय।
7. तत्पश्चात पंजीकृत विज्ञापन एजेसियों के द्वारा लगाये गये होर्डिगों की जांच करायी जाय।
8. अत: श्रीमान् से आग्रह है कि दैनिक समाचार–पत्रों में एक विज्ञापन छपवाया जाये कि आज के बाद पटना नगर निगम क्षेत्र में बिना नगर निगम के अनुमति के कोई भी विज्ञापन बोर्ड किसी भी हालत में नहीं लगाया जा सकता है।

अत: श्रीमान् से आग्रह है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित कार्यवायी की जाय। इसमें अगर श्रीमान् को हमारे एशोसिएशन किसी तरह की सहयोग की आवश्यकता हो तो हम तैयार है।

मनीष कुमार
महासचिव
एडवरटाईजर्स वेलफेयर एसोशिएसन

संजीव रतन सिंह (सोना सिंह)
अध्यक्ष
एडवरटाईजर्स वेलफेयर एसोशिएसन

Flat No. 106, Jagtani Towers, Jamal Road, Patna-800001, Phone: - 9934059040, 9709700301, 9934291849, Email: - adwa.bihar@gmail.com